



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16062021-227659
CG-DL-E-16062021-227659

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2185]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 16, 2021/ज्येष्ठ 26, 1943

No. 2185]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 16, 2021/JYAISHTHA 26, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2021

सं. 53/2021-सीमा शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 2349(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 36/2001-सीमा शुल्क (गै. टै.), दिनांक 3 अगस्त, 2001, जिसे का.आ. 748 (अ), दिनांक 3 अगस्त, 2001 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी-1, सारणी-2 और सारणी-3 के स्थान पर निम्नलिखित सारणियाँ प्रतिस्थापित की जाएँगी, अर्थात्:-

"सारणी-1

क्रम. सं.	अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष/ टैरिफ मद	माल का विवरण	टैरिफ मूल्य (अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1511 10 00	कच्चा पॉम ऑयल	1136
2	1511 90 10	आर बी डी पॉम ऑयल	1148

3	1511 90 90	अन्य पॉम ऑयल	1142
4	1511 10 00	कच्चा पामोलीन	1150
5	1511 90 20	आर बी डी पामोलीन	1153
6	1511 90 90	अन्य पामोलीन	1152
7	1507 10 00	सोयाबीन का कच्चा तेल	1415

2. यह अधिसूचना जून, 2021 के 17वें दिन से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 467/01/2021-सीमा शुल्क-V]

राधाकृष्णन आनंद, उप सचिव

नोट : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. 36/2001-सीमा शुल्क (गै.टै.), दिनांक 3 अगस्त, 2001, का.आ. 748 (अ), दिनांक 3 अगस्त, 2001 के तहत प्रकाशित की गई थी, तथा यह अंतिम बार अधिसूचना सं. 52/2021-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 15 जून, 2021, जिसे का.आ. 2338 (अ) दिनांक 15 जून, 2021, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में ई-प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2021

No. 53 /2021-CUSTOMS (N.T.)

S.O. 2349(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes & Customs, being satisfied that it is necessary and expedient to do so, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 36/2001-Customs (N.T.), dated the 3rd August, 2001, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), vide number S. O. 748 (E), dated the 3rd August, 2001, namely:-

In the said notification, for TABLE-1, TABLE-2, and TABLE-3 the following Tables shall be substituted, namely: -

“TABLE-1

Sl. No.	Chapter/ heading/ sub-heading/tariff item	Description of goods	Tariff value (US \$Per Metric Tonne)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1511 10 00	Crude Palm Oil	1136
2	1511 90 10	RBD Palm Oil	1148
3	1511 90 90	Others – Palm Oil	1142
4	1511 10 00	Crude Palmolein	1150
5	1511 90 20	RBD Palmolein	1153
6	1511 90 90	Others – Palmolein	1152
7	1507 10 00	Crude Soya bean Oil	1415

2. This notification shall come into force with effect from the 17th day of June, 2021

[F. No. 467/01/2021-Cus-V]

RATHAKRISHNAN ANANTH, Dy. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), vide Notification No. 36/2001–Customs (N.T.), dated the 3rd August, 2001, *vide* number S. O. 748 (E), dated the 3rd August, 2001 and was last amended vide Notification No. 52/2021-Customs (N.T.), dated the 15th June, 2021, e-published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2338 (E), dated 15th June, 2021.